

सहायक उपखण्ड अधिकारी अराई
रामेश्वर पुत्र रिद्धकरण जाति जाट निवासी ग्राम छोटालाम्बा तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य

मुकाम अराई (अजमेर)

-प्रार्थी

बनाम

1. कमला पुत्री रघुनाथ सर्वजाति जाट निवासीगण ग्राम छोटालाम्बा तहसील अराई व अन्य

-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर / 2026

ऑनलाइन नंबर 2026 /

वकील प्राथी:- विजय पोषक

वकील अप्राथीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.2.26	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील प्राथी श्री विजय पोषक ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील प्राथी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 29/3/26 को पेश हो। UP उपखण्ड अधिकारी अराई	
29/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष उपस्थित। R.O. सह्य चुनाव कार्य/सम्पत्ति/द्वैरे/भावकाश पर पेश। पत्रावली पूर्व अदेशानुसार..... दिनांक 29/3/26 को पेश हो। UP	
11/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष उपस्थित। अप्राथीगण बावजूद तालिली उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्राथीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जागी है। वकील प्राथी की बहाना सुनी गयी। 3 धारणा पत्र रबीकर दिया जागदों। आदेश पृष्ठ से लेकर कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेरल शुगर होर खम्बर से कम है। UP	राजस्व कार्यालय मुस्ताफा पटवारगदी के कोर्ट कार्यालय तली होर पेरो माला
8/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। अप्राथीगण बावजूद तालिली उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्राथीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जागी है। वकील प्राथी की बहाना सुनी गयी। 3 धारणा पत्र रबीकर दिया जागदों। आदेश पृष्ठ से लेकर कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेरल शुगर होर खम्बर से कम है। UP	